The State Government has already notified the master plans submitted to them in respect of Kushinagar and Sravasti; however, it has not as yet approved the master plans in respect of Sarnath and Piprahwa.

The question of preparing a Master Plan for Lumbini does not arise as this place is not part of India.

Kushinagar, Sravasti, Piprahwa (Kapilvastu) and Sarnath are included in the list of centres selected for co-ordinated and intergrated development under the Travel Circuits concept based on the recommendations of the joint discussions of the representatives of the Central and the State Department of Tourism held in March, 1981.

उत्तर प्रदेश के बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से ऋण

987. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिले भारी बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और राज्य की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था छिन्न-छिन्न हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनका विचार बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को कृषि उपकरण, उर्वरक, बीज आदि खरीदने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने का है; और

(ग) यदि हां तो कब और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग). भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये स्थायी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन, बैंकों को देश के विभिन्न भागों में बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों को सहायता प्रदान करने की सलाह दी गई है । बैंकों द्वारा सुलभ कराए जाने वाले सहायता उपायों में ऋणों की वसूली कार्यक्रम फिर से बनाना, फसली ऋणों को मध्यावधि ऋणों में बदलना तथा वर्तमान परिचालनों के वास्ते नये ऋण प्रदान करना आदि शामिल है । भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के बारे में बैंकों का ध्यान पुनः आकर्षित किया है और उनसे इस बात का सुनिश्चिय करने को कहा गया है कि बैंक अधिकारी इस संबंध में क्षेत्र-स्तर (फील्ड लैवल) पर तुरत कार्रवाई करें।

राष्ट्रीयकृत बैंक, बीजों, उर्वरकों, कृषि औजारों आदि की खरीद के वास्ते किसानों को ऋण प्रदान कर रहे हैं इन ऋणों को आग भी प्रदान करते रहेंगे ।

उत्तर प्रदेश के किसानों से कृषि ऋणों की वसूली

988. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस तथ्य के बावजूद कि उत्तर प्रदेश में अनेक जिले भारी बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारी कृषि उपकरण खरीदने के लिए किसानों को दिए गए ऋणों को वापस करने के लिए उन पर दबाव डाल रहे हैं ; और

(ख) क्या सरकार का कृषि ऋणों की वसूली मई-जून, 1983 तक स्थगित करने के निर्देश देने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख). भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये स्थायी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन, बैंकों को देश के विभिन्न भागों में बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों को सहायता प्रदान करने की सलाह दी गयी है। बैंकों द्वारा सुलभ कराए जाने वाले सहायता उपायों में ऋणों की वसूली कार्यक्रम फिर से बनाना, फसली ऋणों को मध्यावधि ऋणों में बदलना तथा चालू परिचालनों के वास्ते नये ऋण प्रदान करना आदि शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के बारे में बैंकों का ध्यान पुनः आकर्षित किया है और उनसे इस बात का सुनिश्चय करने को कहा गया है कि बैंक अधिकारी इस संबंध में क्षेत्र-स्तर (फील्ड लेवल) पर तुरन्त कार्रवाई करें।

अलबत्ता, सहायता की किस्त तथा मात्रा, विशिष्ट परिस्थितियों तथा प्रत्येक मामले के गुणावगुण पर निर्भर होगी।

राशन में मिलने वाली वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

989. **श्री मोती भाई आर० चौधरी** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 1982 से सितम्बर, 1982 तक की अवधि में राशन में मिलने वाली वस्तुओं (जैसे गेहूं, चावल और बाजरा, मक्का और ज्वार जैसे मोटे अनाज और चीनी, मिट्टी के तेल और खाद्य तेलों) के मूल्य कितनी बार बढ़ाए गए तथा उन वस्तुओं के मूल्य इस समय क्या हैं और मूल्यों में वृद्धि करने के क्या कारण हैं।

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को चावल, गेहूं, लेवी चीनी, आयातित खाद्य तेल और मिट्टी के तेल का आवंटन समय-समय पर निर्धारित मूल्यों पर करती है। जनवरी, 1982 से सितम्बर, 1982 तक की अवधि के दौरान केवल गेहूं और आयतिद खाद्य तेलों के निर्गम मूल्यों में एक-एक बार वृद्धि की गई है। गेहूं के केन्द्रीय निर्गम मूल्य में वृद्धि का निर्णय, गेहूं के वसूली मूल्य में हुई वृद्धि को देखते हुए तथा गेहूं पर दी जाने वाली केन्द्रीय राज-सहायता की राशि को घटाने के लिए किया गया था। आयातित खाद्य तेलों के निर्गम मूल्य में वृद्धि मुख्यतः इसलिए की गई थी कि देशी खाद्य तेलों और आयातित खाद्य तेलों के मूल्यों के बीच के अन्तर को कम किया जा सके और इस बात को रोका जा सके कि आयतित खाद्य अनधिकृत रूप से निजी व्यापारियों के पास न पहुंच सकें।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल, गेहूं, मोटे अनाजों, आयातित खाद्य तेलों, लेवी चीनी और मिट्टी के तेल के चालू निर्गम मूल्य संलग्न विवरण में दिये गये हैं।